



2026:AHC:178965

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29842 वर्ष 2026

आसिम

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : अंबरीन मसरूर, अवैश खान, सदरुल इस्लाम जाफरी,
वरिष्ठ अधिवक्ता

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 78

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि वह मृतका का ससुर है, जो निर्दोष है तथा वर्तमान मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। विचारण के दौरान मृतका की सास एवं ससुर, जो अभियोजन साक्षी-1 एवं 2 हैं, के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनमें उन्होंने अभियोजन के कथन का समर्थन नहीं किया है और पक्षद्रोही हो गए हैं। आगे प्रस्तुत किया गया कि शव-परीक्षण रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है, जिससे यह संकेत मिले कि आवेदक एवं परिवार के सदस्यों द्वारा मृतका को जबरन तेजाब दिया गया था। आगे प्रस्तुत किया गया कि मृतका को तेजाब दिए जाने के संबंध में परिवार के सभी सदस्यों के विरुद्ध सामान्य आरोप लगाया गया है, जबकि उसके शरीर पर ऐसी कोई चोट नहीं पाई गई, जिससे यह संकेत मिले कि उसे तेजाब देने के लिए उसके साथ बल का प्रयोग किया गया था। आगे प्रस्तुत किया गया कि चिकित्सक द्वारा मृतका का मृत्यु-पूर्व कथन दर्ज किया गया था, जिसमें उसने वर्तमान आवेदक की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई है, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों के विरुद्ध अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



सामान्य भूमिका बताई है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि घटना 01.08.2025 को घटित होना बताई गई है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट 26.08.2025 को अत्यधिक विलंब के उपरांत दर्ज कराई गई है, जिसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है। आवेदक 12.09.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा विचारण चल रहा है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

3. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु इस तथ्य से विवाद नहीं कर सके कि विचारण के दौरान मृतका के पिता एवं माता पक्षद्रोही हो गए हैं और उन्होंने अभियोजन के कथन का समर्थन नहीं किया है।

4. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों, प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय-वस्तु, चिकित्सीय रिपोर्ट, विचारण के दौरान विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दर्ज किए गए अभियोजन साक्षी-1 एवं 2 के बयानों, शव-परीक्षण रिपोर्ट, पीड़िता के मृत्यु-पूर्व कथन, आवेदक के 12.09.2025 से जेल में निरुद्ध रहने की अवधि को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है।

5. तदनुसार, यह जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. मुकदमा अपराध संख्या 384/2025, अंतर्गत धारा 80(2), 85, 124(1), 351(2), 352 भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना डिडौली, जनपद अमरोहा में संलिप्त आवेदक- **आसिम** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए:-

1. आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

2. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

3. आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक ऐसे किसी अपराध को कारित नहीं करेगा, जो उस अपराध के समान हो जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है अथवा जिसके कारित किए जाने का उस पर संदेह है।

7. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

8. उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

6. पक्षकार इस आदेश की स्व-सत्यापित कंप्यूटर जनित प्रति, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई हो, दाखिल करेगा। संबंधित न्यायालय/प्राधिकारी/अधिकारी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से आदेश की ऐसी कंप्यूटरीकृत प्रति की प्रामाणिकता का सत्यापन करेगा तथा ऐसे सत्यापन के संबंध में लिखित रूप में घोषणा करेगा।

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)

24 अगस्त, 2026

टी.एस.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।